वित्तीय समितियां
(2019-20)

(एक समीक्षा)

लोक लेखा समिति,
प्राक्कलन समिति और
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2020

वित्तीय समितियां
(2019-20)

(एक समीक्षा)

लोक लेखा समिति,
प्राक्कलन समिति और
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

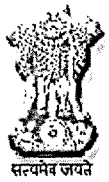

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
सितम्बर, 2020/ भाद्रपद, 1942(शक)

पी.ए.सी. सं. 2202

@2020 लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
आमुख		(ii)
अध्याय- एक	लोक लेखा समिति	1
अध्याय -दो	प्राक्कलन समिति	57
अध्याय -तीन	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	66

परिशिट

एक.	लोक लेखा समिति (2019-20) की संरचना	9
दो.	*वर्ष 2019-20 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु चुने गए विषय*	11
तीन.	लोक लेखा समिति (2019-20) की उप-समितियों की संरचना	28
चार.	लोक लेखा समिति (2019-20) [मुख्य समिति] की बैठकों की तिथियों और उनकी अवधि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण	30
पांच.	लोक लेखा समिति (2019-20) की उप-समितियों की बैठकों की तिथियों और अवधि के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण	39
छह.	लोक लेखा समिति (2019-20) के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों, जिनमें समिति के सदस्यों ने भाग लिया, की संख्या को दर्शाने वाला विवरण	41
सात.	लोक लेखा समिति (2019-20) के अध्ययन दौरों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण	44

प्राक्कलन समिति

एक.	प्राक्कलन समिति (2019-20) की संरचना	61
दो.	प्राक्कलन समिति (2019-20) की बैठकों की अवधि, सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषय (यों) के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण	63
तीन.	प्राक्कलन समिति (2019-20) की बैठकों में प्रत्येक सदस्य ने कितनी बैठकों में भाग लिया, उसे दर्शाने वाला विवरण	64

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

एक.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की संरचना	70
दो.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की बैठकों की तिथियों, अवधि, सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषयों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण	72
तीन.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की अवधि आरंभ होने से लेकर 30 अप्रैल, 2020 तक हुई बैठकों की कुल संख्या और समिति के हर एक सदस्य द्वारा जितनी बैठकों में भाग लिया गया, उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण।	76

* **

आमुख

इस पुस्तिका का उद्देश्य संसद की तीन वित्तीय समितियों, नामतः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 30 अप्रैल, 2020 तक के कार्यकलापों संबंधी समस्त संगत जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। इन समितियों का गठन 24 जुलाई, 2019 को किया गया था।

2. सुलभ संदर्भ हेतु, सांख्यिकीय आंकड़े तालिकाओं और परिशिष्टों में दिए गए हैं।

नई दिल्ली;
सितम्बर, 2020 — महासचिव
भाद्रपद,1942 (शक)

अध्याय-एक

लोक लेखा समिति

एक. निर्वाचन और संरचना

वर्ष 2019-20 के लिए लोक लेखा समिति का गठन 24 जुलाई, 2019 को किया गया था। इसमें संबंधित सभाओं के सदस्यों में से निर्वाचित लोक सभा के पन्द्रह सदस्य और राज्य सभा के सात सदस्य शामिल थे| इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त हुआ।

1.2 श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) और समिति के एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा सभापति के रूप में नियुक्त किया गया, देखिए 25 जुलाई, 2019 का समाचार-भाग-दो पैरा संख्या 402 | समिति की संरचना (2019-20) **परिशिष्ट –एक** में दी गई है|

1.3 दिनांक 5 अगस्त, 2019 को श्री भुवनेश्वर कालिता के राज्य सभा से इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति पर दिनांक 10 फरवरी, 2020 को राज्य सभा के एक सदस्य, श्री पी. भट्टाचार्य को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया।

दो. जांच हेतु चयनित विषय

1.4 लोक लेखा समिति ने अपनी 26.8.2019 को हुई बैठक में वर्ष 2019-20 के दौरान, जांच हेतु कुल 107 विषयों/लेखापरीक्षा पैराओं (देखिए, दिनांक 28.8.2019 का समाचार भाग-दो संख्या 517) का चयन किया था | दिनांक 29.8.2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें 2019-20 के दौरान, जांच के लिए चुने गए विषयों में से 23 विषयों को प्राथमिकता दी गई है। दिनांक 26 अगस्त 2019 को आयोजित बैठक में गहन जांच के लिए चुने गए विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2019 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन संख्या 11 के पैरा सं. 1.6, 4.1, 4.7 और अध्याय सं.- दो और तीन शामिल थे। समिति ने 19 नवंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में 2019-20 के दौरान, गहन जांच हेतु रिपोर्ट के चुनिन्दा पैराओं / अध्यायों को लेने के बजाय, वर्ष 2019 की सीएंडएजी की संपूर्ण रिपोर्ट संख्या 11 का चयन किया गया। समिति ने 27 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक के दौरान, आठ अतिरिक्त विषयों का चयन किया, जिसके बारे में दिनांक 31 जनवरी, 2020 के समाचार भाग- दो पैरा संख्या 1093 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार, 2019-20 के

दौरान, समिति ने जांच के लिए कुल 111 विषयों का चयन किया। इन विषयों का ब्यौरा **परिशिष्ट-दो** में दर्शाया गया है।

तीन. उप-समितियों का गठन

1.5 वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान, आवंटित विषयों की जांच के लिए लोक लेखा समिति की तीन उप-समितियों का गठन किया गया था। उप-समिति एक, दो और तीन के गठन और प्रत्येक उप-समिति को आवंटित विषय के बारे में दिनांक 18 दिसंबर, 2019 के समाचार भाग- दो, संख्या 925 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। उप-समितियों की संरचना **परिशिष्ट-तीन** में दी गई है। इन उप-समितियों को निम्नलिखित विषयों की जांच का कार्य सौंपा गया था, जिन्हें प्रत्येक उप-समिति के समक्ष दर्शाया गया है:

<u>वर्ष 2019-20 के दौरान जांच के लिए उप-समितियों को आवंटित विषय</u>

(एक) उप समिति-एक

विषय: 2019 की रिपोर्ट संख्या 8 - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

(दो) उप समिति-दो

विषय: 2017 की रिपोर्ट संख्या 37 - खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

(दो) उप समिति-तीन

विषय: 2017 की रिपोर्ट संख्या 12, अध्याय-सोलह, पैरा 16.1 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन

चार. <u>किए गए कार्य की समीक्षा</u>

(क) <u>समिति/उप समितियों की बैठकें</u>

1.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 17 बैठकें (मुख्य समिति की 14 बैठकें उप-समितियों की 03 बैठकें) हुईं। इन समितियों की बैठकों की कुल अवधि 26 घंटे 55 मिनट जिसमें मुख्य समिति की 22 घंटे और 40 मिनट और उप-समितियों की 04 घंटे 15 मिनट थी। मुख्य समिति की प्रत्येक बैठक की तिथि और अवधि, उपस्थित सदस्यों की संख्या और चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा **परिशिष्ट-चार** में दिया गया है। इसी तरह, उप-समितियों की बैठकों की तिथि और अवधि का ब्यौरा **परिशिष्ट-पांच** में दिया गया है। समिति की बैठकों की संख्या का ब्यौरा जिनमें प्रत्येक सदस्य ने भाग लिया **परिशिष्ट-छह** में दिया गया है

(ख) <u>विनियोग लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच</u>

1.7 लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच के दौरान, लोक लेखा समिति ने सिविल, डाक सेवाओं, रक्षा सेवाओं और रेल से संबंधित वर्ष 2017-18 के केंद्र सरकार के चार विनियोग लेखाओं की जांच करने के

अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट विभिन्न पैराओं पर संगत सामग्री का अध्ययन किया। इसके अलावा, देश के प्रमुख समाचार पत्रों में 25 नवंबर, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें विषय से संबंधित हितधारकों / उद्योग प्रतिनिधियों / विशेषज्ञों / संस्थाओं / संगठनों से "माल और सेवा कर" विषय पर विचार और सुझाव मांगें गए।

(ग) तत्स्थानिक अध्ययन दौरा

1.8 लोक लेखा समिति (2019-20) ने विभिन्न सरकारी संस्थापनाओं/विभागों/संगठनों के कार्यकरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु तीन तत्स्थानिक अध्ययन दौरे किए। उक्त अवधि के दौरान, समिति द्वारा जिन संगठनों/स्थानों का दौरा किया गया, उनका ब्यौरा **परिशिष्ट-सात** में दर्शाया गया है।

(घ) कार्यवाही और कार्यवाही सारांश

1.9 समिति की बैठकों की शब्दशः कार्यवाही, जिसमें साक्षियों द्वारा समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य शामिल है, का रिकॉर्ड रखा गया है। समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश तैयार किया गया और संबंधित प्रतिवेदनों के साथ सभा में प्रस्तुत किया गया।

पांच. प्रतिवेदन जिन्हें अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तुत किया गया

1.10 समीक्षाधीन अवधि अर्थात 2019-20 के दौरान, समिति ने कुल 15 प्रतिवेदनों (06 मूल प्रतिवेदन और 09 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) को अंतिम रूप दिया और सभा में प्रस्तुत किया।

(क) मूल प्रतिवेदन

निम्नलिखित 06 मूल प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत किया गयाः

क्र. सं.	प्रतिवेदन सं.	विषय	प्रस्तुतीकरण की तिथि
1.	14वां	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	23.03.2020*
2.	13वां	बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बैंगलोर (बीआईएएल) द्वारा "न्यासीय कर्त्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली"	18.03.2020
3.	12वां	निधियों का प्रबंधन	18.03.2020
4.	5वां	वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	04.02.2020

5.	4वां	स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2016-17) से अधिक व्यय	04.02.2020
6.	पहला	विनियोग लेखाओं में अपवाद रिपोर्टिंग की सीमा में संशोधन	06.12.2019

(ख) <u>की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन</u>

1.11 निम्नलिखित 09 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को भी सभा में प्रस्तुत किया गयाः

क्र. सं.	प्रतिवेदन सं.	विषय	प्रस्तुतीकरण की तिथि
1.	15वां	"डाक विभाग द्वारा अननुपालन" विषय पर समिति के 89वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	23.03.2020*
2.	11वां	"औषध क्षेत्र में निर्धारितियों का कर निर्धारण" विषय पर समिति के 136वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	16.03.2020
3.	10वां	"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने हेतु तैयारी" विषय पर समिति के 133वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	16.03.2020
4.	9वां	"माल और सेवाओं के प्रापण में अनियमितताएं, गैर-मौजूद फर्मों को कार्य की सुपुर्दगी, अप्राप्य वैट प्रतिदाय और विभागीय प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान" विषय पर समिति के 132वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	16.03.2020
5.	8वां	" भारतीय रेल में परियोजनाओं का कार्यान्वयन" विषय पर समिति के 109वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	04.02.2020
6.	7वां	"परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कार्यकलाप" विषय पर समिति के 90वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	04.02.2020

7.	6वां	"स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2015-16) से अधिक व्यय" विषय पर समिति के 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	04.02.2020
8.	तीसरा	"स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न इकाइयों का आकलन" विषय पर समिति के 103वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	06.12.2019
9.	दूसरा	"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण" विषय पर समिति के 95वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।	06.12.2019

*प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किए गए।

1.12 निम्नलिखित तालिका में समिति द्वारा अपने पूर्व प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों जिनके संबंध में की-गई कार्रवाई प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, के सबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण दर्शाया गया है:-

सिफारिशों की कुल संख्या	सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की कुल संख्या जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं की	सिफारिशों की कुल संख्या जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता थी	सिफारिशों की कुल संख्या जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
118	93 (78.81%)	01 (0.85%)	16 (13.56%)	08 (6.78%)

1.13 **की-गई-कार्रवाई विवरण**

उपर्युक्त 6 मूल और 9 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों जो सभा को प्रस्तुत किए गए थे, के अलावा समिति के 94वें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में 121वें प्रतिवेदन पर अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पणों के एक विवरण को भी दोनों सभाओं के पटल पर भी रखा गया।

छह. सचिवालय

1.14 लोक लेखा समिति शाखा समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। एक अपर सचिव/संयुक्त सचिव, एक निदेशक, तीन अपर निदेशकों और दो उप सचिवों ने शाखा के कामकाज का पर्यवेक्षण किया। अपर सचिव/संयुक्त सचिव समिति सचिवालय के समग्र प्रभारी बने रहे।

1.15. वर्ष 2019-20 के दौरान, सचिवालय ने वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार के चार विनियोग लेखाओं की जांच की और साथ ही, अन्य संगत सामग्रियों जैसे प्रेस क्लिपिंग्स, वेबसाइट्स, संसद में प्रश्नों/वाद-विवाद, विषयों संबंधी साहित्य और प्रकाशनों आदि का अध्ययन किये जाने के अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा यथा प्रस्तुत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों /पैराओ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के ज्ञापन का एक विस्तृत अध्ययन भी किया, इस प्रकार किए गए अध्ययनों के आधार पर, सचिवालय ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली तैयार कीं। अनुमोदन के बाद, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, साक्ष्य के दौरान समिति के सदस्यों को प्रश्नों की सूची के रूप में साक्ष्य के दौरान पूछताछ की रूपरेखा का सुझाव दिया गया। साक्ष्य की शब्दशः कार्यवाही का बाद में सचिवालय द्वारा अध्ययन किया गया और साक्ष्य से उठने वाले प्रशनों के विवरण और विस्तार के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को साक्ष्योपरांत प्रश्न भेजे गये।

1.16. सचिवालय ने जांचाधीन विषयों से संबंधित सभी सामग्रियों का गहन अध्ययन किया, जिसमें पृष्ठभूमि नोट, अग्रिम जानकारी, संसदीय वाद-विवाद से सामग्री और शब्दशः कार्यवाही, साक्ष्य के बाद उठाए गए प्रश्नों के उत्तर और क्षेत्रीय दौरों से एकत्र किए गए इनपुट शामिल हैं । इस प्रकार एकत्रित

सामग्री लगभग 20,000 पृष्ठों की थी । तत्पश्चात्, एकत्र की गई सामग्री से संबंधित प्रश्नों /मुद्दों का चयन किया गया और प्रतिवेदनों का प्रारुपण किया गया और समिति के सभापति को प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुमोदन के पश्चात् समिति द्वारा अंगीकृत किए जाने के पूर्व लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के अवलोकन के लिए प्रतिवेदन का सार तैयार किया गया और रखा गया । इन प्रतिवेदनों को समिति के सदस्यों को उनके विचारार्थ और समिति बैठक के दौरान उन्हें स्वीकार करने हेतु परिचालित किया गया।

1.17. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के बाद, उसकी प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गईं और प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों /सिफारिशों पर आवश्यक संख्या में की गई कार्रवाई टिप्पण / उत्तरों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। की गई कार्रवाई टिप्पणों / उत्तरों की प्राप्ति के बाद, सचिवालय ने उक्त कार्यवाही की और की गई कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार किये और निर्धारित पैटर्न के अनुसार उत्तरों को श्रेणीकृत किया।तत्पश्चात् प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को अनुमोदन के लिए सभापति को प्रस्तुत किया गया । सभापति द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, समिति द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए रखे जाने से पूर्व प्रतिवेदनों का सार तैयार किया गया और उसे लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के अवलोकन के लिए रखा गया। इन प्रतिवेदनों को समिति के सदस्यों के बीच उनके विचारार्थ और इसमें हुई समिति की बैठक के दौरान समिति द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए परिचालित किया गया । इस प्रकार स्वीकृत की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया और उसमें अंतर्विष्ट टिप्पणियों /सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई टिप्पणों / उत्तर भेजने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया ।

1.18. सचिवालय ने एपीएमएस (लेखा परीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली) पोर्टल पर सभा के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रतिवेदन अपलोड किये, जहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों और समिति को भेजे गए केंद्र सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सभी लेखा परीक्षा पैराओं पर उपचारात्मक/सुधारात्मक की गई कार्रवाई टिप्पणों के संबंध में अपने की गई कार्रवाई उत्तरों को अपलोड करना है।

1.19. इसके अलावा, प्रश्न शाखा से प्राप्त संसदीय प्रश्नों, समिति समन्वय शाखा द्वारा मांगी गई जानकारी और सूचना प्रकोष्ठ से प्राप्त आरटीआई आवेदनों पर भी सचिवालय द्वारा विचार किया गया। सभापति, लोक लेखा समिति को संबोधित अनेक अभ्यावेदनों पर भी सचिवालय द्वारा कार्यवाही की गई और तर्कसंगत निर्णय लिया।

1.20. सचिवालय ने समिति के अन्य संबंधित और नियमित कार्य करने के अलावा, सभी संबंधित सामग्रियों के अध्ययन, प्रश्न/प्रश्नों की सूची तैयार करने प्रश्नों/ प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने और उनकी प्रस्तुति, मुद्रण, परिचालन आदि कार्य भी किए।

परिशिष्ट-एक

(देखिये पैरा 1.2)

लोक लेखा समिति की संरचना

(2019-20)

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. **श्री अजय मिश्रा टेनी**
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री विष्णु दयाल राम
10. श्री राहुल रमेश **शेवाले**
11. श्री राजीव रंजन **सिंह 'ललन'**
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा

14. श्री **बालाशौरी वल्लभनेनी**

15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री राजीव चन्द्रशेखर

17. **प्रो. एम.वी. राजीव गौड़ा**

18. श्री नरेश गुजराल

19. **श्री पि.भट्टाचार्य** [1]

20. श्री सी.एम. रमेश

21. श्री सुखेन्दु शेखर राय

22. श्री भूपेन्द्र यादव

---

[1]05 **अगस्त**, 2019 **को श्री भुबनेश्वर कालिता के राज्यसभा से त्याग-पत्र के कारण हुई रिक्ति के स्थान पर** 10 **फरवरी**, 2020 **से निर्वाचित।**

परिशिष्ट- दो

(देखिये पैरा 1.4)

लोक लेखा समिति द्वारा 2019-20 के दौरान जांच के लिए चयनित विषय

क्र. सं.	प्रतिवेदन *सं.*	*अध्याय / पैरा सं.*	*विषय*	*मंत्रालय / विभाग*
1 ^	वर्ष 2019 का 8	संपूर्ण प्रतिवेदन	सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु तैयारी	नीति आयोग
2 ^	वर्ष 2019 का 11*	*संपूर्ण प्रतिवेदन*	*अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर*	वित्त (राजस्व विभाग)
3 ^	वर्ष 2018 का 22	*संपूर्ण प्रतिवेदन*	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
4 ^	वर्ष 2019 का 3	*संपूर्ण प्रतिवेदन*	भारतीय वायुसेना में पूंजी अधिग्रहण	रक्षा
5 ^	वर्ष 2018 का 23	संपूर्ण प्रतिवेदन	रीयल एस्टेट क्षेत्र में निर्धारितियों का मूल्यांकन	वित्त (राजस्व विभाग)
6 ^	वर्ष 2018 का 14	*पैरा 3*	*भारतीय वायुसेना की प्रचालनात्मक तैयारी*	*रक्षा*
7 ^	वर्ष 2018 का 15	समग्र प्रतिवेदन	*`राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के संबंध में निष्पादन लेखा परीक्षा*	*पेयजल एवं स्वच्छता*

8 ^	वर्ष 2018 का 19	संपूर्ण प्रतिवेदन	*भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिक को रखने में सांविधिक आवश्यकताओं का निष्पादन*	*रेल*
9 ^	वर्ष 2017 का 7	संपूर्ण प्रतिवेदन	कृषि फसल बीमा योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा	कृषि और किसान कल्याण
10 ^	वर्ष 2017 का 39	संपूर्ण प्रतिवेदन	*गंगा नदी का संरक्षण (नमामि गंगे)*	*जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण*
11 ^	वर्ष 2017 का 37	संपूर्ण प्रतिवेदन	*खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन*	*स्वास्थ्य और परिवार कल्याण*
12 ^	वर्ष 2019 का 4	अध्याय-पांच	कर-व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की प्रभावकारिता	वित्त (राजस्व विभाग)
13 ^		अध्याय-छह	कर-व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की प्रभावकारिता	वित्त (राजस्व विभाग)
14 ^	वर्ष 2015 का 49	संपूर्ण प्रतिवेदन	प्रमुख पत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा	पोत परिवहन
15 ^	वर्ष 2016 का 7	संपूर्ण प्रतिवेदन	'पासपोर्ट सेवा परियोजना का कार्यान्वयन' सम्बन्धी निष्पादन लेखापरीक्षा	विदेश
16	वर्ष 2019	संपूर्ण	मनोरंजन क्षेत्र में कर-	वित्त (राजस्व विभाग)

^	का 1	प्रतिवेदन	निर्धारितियों का कर-निर्धारण	
17 ^	वर्ष 2017 का 12	अध्याय छह, पैरा 6.1	निधियों का प्रबंधन	*कोयला*
18 ^		अध्याय सोलह 16.1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) पीएमईजीपी (का) कार्यान्वयन	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
19 ^	वर्ष 2018 का 20	संपूर्ण प्रतिवेदन	*वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का निष्पादन*	*वित्त (आर्थिक कार्य विभाग)*
20	वर्ष 2014 का 27	पैरा 6.4	नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
21	वर्ष 2016 का 13	पैरा 2.1	भारतीय रेल में स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन	*रेल*
22	वर्ष 2016 का 34	पैरा 3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग (2016-17)	*वित्त*
23	वर्ष 2017 का 1	अध्याय चार	शुल्क छूट / छूट योजना (पैरा 4.1 से 4.1.5)	वित्त विभाग (सीमा शुल्क)
24		अध्याय सात	सामान्य छूट अधिसूचनाओं को गलत ढंग से लागू करना (पैरा 7.1 और 7.2)	

25	वर्ष 2017 का 2	अध्याय दो	अभिलेखों को उपलब्ध न कराना (पैरा 2.6.2)	राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर)
26	वर्ष 2017 का 5	संपूर्ण प्रतिवेदन	सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत भारत चीन सीमा सड़कों का निर्माण संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा	रक्षा (सेना)
27	वर्ष 2017 का 10	संपूर्ण प्रतिवेदन	बाढ़ नियंत्रण पूर्वानुमान योजना संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा	जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण
28	वर्ष 2017 का 12	अध्याय पांच	न्यासीय शुल्क की विफलता के कारण संदिग्ध वसूली (पैरा 5.1)	नागर विमानन
29		अध्याय बारह	वर्ष 2011 में पूरे हुए भवनों का कब्ज़ा स्थानांतरित करवाने में सीपीडब्ल्यूडी और डीसीपीडब्ल्यू की विफलता जिससे उस पर किया गया व्यय निष्फल हो गया। (पैरा 12.2)	गृह
30		अध्याय चौदह	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (पैरा 14.1)	सूचना और प्रसारण

31		अध्याय अट्ठारह	त्रुटिपूर्ण योजना बनाने के कारण निष्फल व्यय (पैरा 18.1)	सड़क परिवहन और राजमार्ग
32		अध्याय उन्नीस	पार्किंग प्रभारों में संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि (पैरा 19.1) एक निजी दल से आश्वासित सवार सह घाटा भाड़ा प्रभारों की कम वसूली (पैरा 19.2) प्रत्याशित लाभों की गैर प्राप्ति तथा निधियों निधियों का अवरोधन (पैरा 19.3) बकाया दावों की गैर वसूली (पैरा 19.4) शिक्षा शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति (पैरा 19.5); पट्टा विलेख तैयार करने में उचित तत्परता की कमी के कारण राजस्व की हानि (पैरा 19. 6)	पोत परिवहन (एमबीपीटी)
33		अध्याय बीस	पूंजी सहायता के संवितरण संबंधी योजना लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में विफलता (पैरा 20. 1)	वस्त्र
34		अध्याय बाईस	समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि (पैरा 22. 1) विभागीय प्रभार में विफलता के कारण हानि (पैरा 22. 2)	*शहरी विकास*

			ठेकेदार को अनुचित लाभ (पैरा 22. 3)	
35	वर्ष 2017 का 15	अध्याय पांच	परिहार्य अतिरिक्त व्यय(पैरा 5. 1)	रक्षा
36		अध्याय छह	एक एकीकृत एरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास (पैरा 6.1); परियोजना के पूरा होने के बाद वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण के लिए अनियमित संस्वीकृति और 5.20 करोड़ रुपए का व्यय (पैरा 6.2); 19.53 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय (पैरा 6.3)	
37	वर्ष 2017 का 17	अध्याय पांच	सीएसआईआर में मानव संसाधनों का प्रबंधन (पैरा 5.1) अप्रयुक्त भूमि का निस्तारण न करने के कारण हुआ परिहार्य व्यय(पैरा 5.4)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
38		अध्याय छह	वी सैट सेवाओं-का प्रबन्धन (पैरा 6.1) ;परियोजना-पूर्व कार्यकलापों पर अनियमित व्यय (पैरा 6.2) वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान की सुपुर्दगी में वित्तीय विवेक की कमी तथा अनुचित अनुबंध प्रबंधन (पैरा 6.3); पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि की खरीद में निष्फल व्यय	अंतरिक्ष विभाग

			(पैरा 6.4)	
39	**वर्ष** 2017 **का** 17	अध्याय दो	भारतीय नौसेना में नौसैनिक भण्डार, उपकरण एवं कल पुर्जों का इनवेंट्री प्रबंधन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा	रक्षा
40		अध्याय तीन	भारतीय नौसेना में पोतों और पनडुब्बियों की दुर्घटनाएँ (पैरा 3 . 1); मरीन गैस टर्बाइन ओवरहाल फेसिलिटी का कार्यकरण (पैरा 3 . 2); यूएच-3एच हेलीकाप्टरों का प्रचालन और अनुरक्षण (पैरा3.3); पेरिस्कोप की स्थापना में विलंब के कारण सिंधुघोष वर्ग की पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग (पैरा 3.4); अनिवार्य प्रणाली की स्थापना न करने के कारण विमान की उड़ान सुरक्षा से समझौता **(पैरा 3.5) ऑफसेट दायित्व के फलन में विलंब के कारण बेड़े के टैंकरों का भेद्य होना** (पैरा 3.6); दिल्ली दिल्ली क्षेत्र में नौसेना अधिकारियों द्वारा लघु शस्त्र-फायरिंग अभ्यास की कमी (**पैरा 3.7)** एक हेलीकाप्टर बेड़े के लिए एयरोइंजन की अनुचित खरीद (पैरा 3.8) ; एक विमान के लिए मोबाइल सैटेलाईट सेवा टर्मिनल की परिहार्य अधिप्राप्ति एवं स्थापना (पैरा 3.9) डोर्नियर	

			विमान के लिए मौसम रडार की अधिप्राप्ति (पैरा 3.10) ; चावल की खरीद पर परिहार्य व्यय (पैरा 3.11)	
41	**वर्ष** 2017 **का** 21	अध्याय दो	निधियों के अनियमित रूप से रखने के परिणामस्वरूप ब्याज हानि(पैरा 2.2); ढुलाई शुल्क का अधिक भुगतान (पैरा 2.4); रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीनों को किराए पर लेने का परिहार्य भुगतान (पैरा 2.5)	**संचार (डाक विभाग)**
42		अध्याय तीन	निधियों का अवरोधन और निष्फल फ़ॉरेक्स निर्गम (पैरा 3.1); किराए का अधिक भुगतान (पैरा 3.2)	**इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी**
43		अध्याय चार	भारत संचार निगम लिमिटेड में वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा (पैरा 4.1); उपभोक्ता अर्जन फार्मों का अपर्याप्त प्रमाणन-महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (पैरा 4.2); महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भवन में अधिकृत स्थान के लिए किराए के बिल को जारी करने में विलंब (पैरा 4.3); किराए पर भवन लेने पर और आंतरिक साजसज्जा- पर 15.54 करोड़रुपए का निष्फल व्यय-राष्ट्रीय सूचना	**संचार (दूरसंचार विभाग)**

			विज्ञान केंद्र सेवाएं इंक (पैरा 4.4)	
44	**वर्ष** 2017 **का** 28	संपूर्ण प्रतिवेदन	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा	वित्त (विभाग वित्तीय सेवाएं)
45	**वर्ष** 2017 **का** 36	संपूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय रेल के यात्री कोचों में *बायो-टॉयलेट का अधिष्ठापन*	रेल
46	**वर्ष** 2018 **का** 1	अध्याय तीन	भारतीय रेल में परिसंपत्तियों का लेखांकन (रेल वित्त)	रेल
47	**वर्ष** 2018 **का** 2	अध्याय सात	उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली का परिचालन (पैरा 7.1)	अंतरिक्ष विभाग
48		अध्याय नौ	**सौर तापीय विद्युत संयंत्र का उपयोग** न करना(पैरा 9.1)	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
49	**वर्ष** 2018 **का** 4	अध्याय तीन	**सुविधा स्थापित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना** (पैरा 3.1)	कृषि और किसान कल्याण
50		अध्याय चार	**एपीडा द्वारा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा न करने के कारण हुई हानि** (पैरा 4.1) और **निधि का अविवेकपूर्ण प्रबंधन** (पैरा 4.2)	वाणिज्य और उद्योग
51		अध्याय छह	**सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु योजनाएं** (पैरा 6.1); **नकद का गलत प्रबंधन**	संस्कृति

			एवं सरकारी खाते के बाहर निधियों का अनियमित रूप में पड़े रहना (पैरा 6.2); कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान (पैरा 6.3); विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान (पैरा 6.4)	
52		अध्याय आठ	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन (पैरा 8.1)	वित्त
53		अध्याय नौ	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई से संबंधित पैरा (पैरा 9.1); भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद (पैरा 9.2) ;स्नातकोत्तर चिकित्सकीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (पैरा 9.3); जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (पैरा 9.4); सफदरजंग अस्पताल (पैरा 9.5)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
54		अध्याय तेरह	विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान (पैरा 13.1); निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन न करना (पैरा 13.2)	सूचना और प्रसारण

55		अध्याय चौदह	**प्रशासनिक प्रभारों की कम वसूली** (पैरा 14.1)	श्रम और रोजगार
56		अध्याय पन्द्रह	पदों की संस्वीकृति के बिना कर्मचारियों की भर्ती (पैरा 15.1)	नीति आयोग
57		अध्याय सोलह	मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान (पैरा 16.1)	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
58		अध्याय उन्नीस	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास **(जेएनपीटी) को हुइ राजस्व हानि (पैरा 19.1); राजस्व का नु** राजस्व का नुकसान और का नुकसान और लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ (पैरा 19.2) नैमित्तिक व्यवसाय और सेवा प्रभारों के संशोधन में विफलता के कारण राजस्व की हानि (पैरा 19.3); लो पावर फैक्टर के लिए क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान (पैरा 19.4)	पोत परिवहन
59		अध्याय बीस	**विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान** (पैरा 20.1)	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
60	**वर्ष** 2015	पैरा 2.5	दोहरी /बहुविध प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले ऑपरेटरों को	संचार

	का 20		अनुचित लाभ	दूरसंचार
61	वर्ष 2016 का 29	अध्याय दो	यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर को सब्सिडी का अनियमित भुगतान (पैरा 2.2)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
62	वर्ष 2017 का 1	अध्याय तीन	सीमाशुल्क विभाग के निवारक कार्य	राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
63	वर्ष 2017 का 2	अध्याय तीन	निगम कर	राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर)
64	वर्ष 2017 का 3	अध्याय चार	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर अल्प भुगतान (पैरा 4.2)	राजस्व विभाग (केन्द्रीय शुल्क)
65	वर्ष 2017 का 8	पैरा 2.13	लक्षद्वीप द्वीप समूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण	यूटी (लक्षद्वीप प्रशासन)
66	वर्ष 2017 का 13	संपूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय रेल में खानपान सेवाएं	रेल
67	वर्ष 2017 का 30	अध्याय 2	विशेष प्रावधानों में अस्पष्टता / कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे पैरा (2.1 से 2.11)	वित्त (राजस्व विभाग)
68	वर्ष 2018 का 2	पैरा 4.1	इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के कार्यकलाप	(जैवप्रौद्योगिकी विभाग-)
69		पैरा 5.1	मूल्य वृद्धि के कारण परिहार्य व्यय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

70	**वर्ष** 2018 **का** 5	पैरा 7.1	रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु रेल भूमि का विकास	रेल
71	**वर्ष** 2018 **का** 6	संपूर्ण प्रतिवेदन	"राष्ट्रीय परियोजनाएं "संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
72	**वर्ष** 2018 **का** 8	अध्याय - दो	गोला बारूद और विस्फोटक का उत्पादन **करने वाली आयुध निर्माणियों** में गुणवत्ता प्रबंधन	रक्षा
73	**वर्ष** 2018 **का** 9	पैरा 2.1	दूरगामी समुद्री सर्वेक्षण पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत अधिष्ठापन का 'ए' उपयोग और दोहन।	रक्षा
74		पैरा 2.2	भारतीय नौसेना में अधिकारियों का प्रशिक्षण	रक्षा
75		पैरा 3.1	भारतीय तटरक्षक में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन।	रक्षा
76	**वर्ष** 2018 **का** 13	पैरा 3.4	इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्नत किए हुए 155 एमएम/45 कैलिबर गन सिस्टम "धनुष" के उत्पादन में विलंब	रक्षा
77		पैरा 4.3	एयर कंडीशनरों-**की व्यवस्था** में विलंब के कारण फील्ड फार्मेशन को तत्काल मिसाइलें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी	रक्षा
78		पैरा 5.1	निष्फल व्यय	रक्षा
79		पैरा 6.3	पूर्ण परीक्षण सुविधाओं के बिना एक परियोजना को शुरू करने के	रक्षा

			कारण 13.78 करोड़ रूपए का निष्फल व्यय	
80		पैरा 6.5	स्टोर्स की खरीद पर 14.43 करोड़ रूपए का अनुचित व्यय	रक्षा
81	वर्ष 2018 का 14	पैरा 2.1	इंडीज़ेनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एईडब्ल्यू एंड सीएस) का विकास	रक्षा
82	वर्ष 2018 का 17	संपूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय रेल के चयनित स्टेशनों पर स्टेशन लाइन क्षमता का विस्तार	रेल
83	वर्ष 2018 का 16	संपूर्ण प्रतिवेदन	**अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडीज) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का कार्यकरण (सीएफएसज)**	**वित्त (राजस्व विभाग)**
84	वर्ष 2018 का 21	**पैरा 2.1**	**दूरसंचार विभाग में स्पेक्ट्रम प्रबंधन संबंधी लेखापरीक्षा**	**संचार (दूरसंचार विभाग)**
85		**पैरा 3.1**	**डाक विभाग में कोर बीमा समाधान (सीआईएस) की लेखापरीक्षा**	**संचार (डाक विभाग)**
86		**पैरा 3.2**	**डाक विभाग में नकद प्रमाण पत्रों की स्टॉकिंग**	**संचार (डाक विभाग)**
87		**पैरा 4.1**	**भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सेवा**	**संचार (दूरसंचार विभाग)**
88	वर्ष 2019	पैरा 2.2	लेखाओं में अपारदर्शिता	**वित्त (आर्थिक कार्य विभाग)**

89	का 2	**पैरा 2.3(ग)**	**माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर**	**वित्त (आर्थिक कार्य विभाग)**
90		पैरा 3.3	100 करोड़ रूपए या इससे अधिक की बचत	विभिन्न मंत्रालय/विभाग
91		पैरा 3.4	अनुदान स्तर पर गैर जरूरी नकदी अनुपूरक प्रावधान	विभिन्न मंत्रालय/विभाग
92		पैरा 3.7	प्रावधान के परिवर्धन लिए विधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता	विभिन्न मंत्रालय/विभाग
93		पैरा 3.10	ऑब्जेक्ट शीर्ष '41-गोपनीय सेवा व्यय' प्रावधान की बढ़ोत्तरी	**वित्त (आर्थिक कार्य विभाग)**
94	**वर्ष** 2019 का 4	**अध्याय-तीन**	**सीबीआईसी में अपील के मामलों के लिए निगरानी तंत्र**	**वित्त (राजस्व विभाग)**
95		**अध्याय-चार**	**सीबीआईसी में बकाया राशि की वसूली के लिए निगरानी तंत्र**	**वित्त (राजस्व विभाग)**
96	**वर्ष** 2019 का 9	पैरा 2.7	अभिलेखों को प्रस्तुत न करना	**वित्त (राजस्व विभाग)**
97		पैरा 4.2.4	ब्याज की उगाही में चूक	**वित्त (राजस्व विभाग)**
98		पैरा 5.9.2	सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना छूट	**वित्त (राजस्व विभाग)**
99		पैरा 5.9.3	आईटीडी डेटाबेस में कृषि आय का गलत उल्लेख	**वित्त (राजस्व विभाग)**
100		पैरा 5.9.4	विभाग द्वारा सत्यापन की स्थिति	**वित्त (राजस्व विभाग)**
101		पैरा 5.9.5	अनुपालन मुद्दे -कर निर्धारण में चूक	**वित्त (राजस्व विभाग)**

102		पैरा 6.1 से 6.10	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	**वित्त (राजस्व विभाग)**
103		पैरा 7.2 से 7.8	समूह कम्पनी के कर निर्धारण की एकीकृत लेखापरीक्षा	**वित्त (राजस्व विभाग)**
104	वर्ष 2019 का 10	*अध्याय-एक*	*वित्त की स्थिति*	*रेल*
105		*अध्याय-दो*	*भारतीय रेल में यात्रियों को रियायतें*	*रेल*
106	वर्ष 2019 का 14	*संपूर्ण प्रतिवेदन*	*प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना*	*पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*
107	वर्ष 2019 का 15	*अध्याय-दो*	*आयुध निर्माणियों में फ्यूजेज का उत्पादन*	*रक्षा*
108		अध्याय-तीन पैरा 3.1	*आयुध निर्माणियों में ई-प्रापण प्रणाली का कार्यकरण*	*रक्षा*
109		पैरा 3.2	*आयुध निर्माणियों में बैंक खातों का संचालन*	*रक्षा*
110		पैरा 3.5	*आयुध निर्माणी, बडमाल द्वारा द्वारा सेना को दोषपूर्ण अस्त्रों के प्रतिस्थापन के कारण* **62.10** *करोड़ रूपए की हानि*	*रक्षा*

111		पैरा 3.6	आयुध निर्माणी, चंदा में *21.46* करोड़ रूपए की लागत से शेल फिलिंग मशीन का अनुचित प्रापण।	*रक्षा*

26 अगस्त, *2019* को हुई बैठक में *2019-20* के दौरान *जांच* के लिए चुने गए *107* विषयों में से *23* ^ को *लोक लेखा समिति ने 29 अगस्त, 2019 के* प्रेस नोट *के जरिए* प्राथमिकता दी।

* समिति ने *19* नवम्बर, *2019* को आयोजित अपनी बैठक में वित्त मंत्रालय *(*राजस्व विभाग*)* से संबंधित उसी *सीएजी* रिपोर्ट पहले के चयनित पांच *पैराजों* और अध्याय *(*पैरा सं. *1.6 (*जीएसटी के उद्देश्य*), 4.1 (*डाटा तक पहुंच की कमी*)* और *4.7 (ट्रांजिशनल* क्रेडिट्स की लेखा परीक्षा*)* और अध्याय सं. *दो (*राजस्व और विवरणी फाइल करने *के रुझान)* और *तीन (*जी. *एस.* टी. एन. *की आईटी* . लेखापरीक्षा*)* *के बजाय वर्ष* **2019** *की सीएजी रिपोर्ट सं.* **11** ***(संपूर्ण रिपोर्ट)*** *का जांच हेतु चयन किया।*

27 दिसंबर, *2019* को आयोजित बैठक में समिति द्वारा *जांच* के लिए चयनित *क्र.* सं. *104-111 में* विषयों के लिए प्रविष्टियाँ

क्र. सं. 1 *पर विषयों की प्रारंभिक जांच के बाद वर्ष* 2019 *के सीएजी रिपोर्ट सं.* 8 *पर आधारित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी*); 11 (*वर्ष* 2017 *की सीएजी रिपोर्ट सं.* 37 *पर आधारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,* 2006 *का कार्यान्वयन*); *और* 18 (*वर्ष* 2017 *के सीएजी रिपोर्ट सं.* 12, *का प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन, अध्याय-सोलह, पैरा* 16. 2019), *को गहन जांच हेतु दिनांक* **18** *दिसम्बर,* **2019** *के समाचार भाग-दो के माध्यम से क्रमशः उप-समिति-एक, उप-समिति-दो और उप-समिति-तीन को दिया गया। वर्ष* **2019-20** *के दौरान अन्य सभी विषय मुख्य समिति के पास रहे।*

परिशिष्ट – तीन

(देखिए पैरा 1.5)

लोक लेखा समिति (2019-20) की उप-समिति की संरचना

I. उप-समिति-एक

विषय: वर्ष 2019 की प्रतिवेदन सं. 8 – सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु तैयारी (एसडीजी)

(i)	श्री अधीर रंजन चौधरी	-	सभापति
(ii)	श्री नरेश गुजराल	-	संयोजक
(iii)	श्री सुखेंदु शेखर राय	-	सदस्य
(iv)	डॉ. सत्यपाल सिंह	-	सदस्य
(v)	श्री जगदम्बिका पाल	-	सदस्य
(vi)	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	-	सदस्य
(vii)	श्री राजीव चन्द्रशेखर	-	सदस्य

II. उप-समिति-दो

विषय: वर्ष 2017 की प्रतिवेदन सं. 37– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 2006 का कार्यान्वयन

(i)	श्री अधीर रंजन चौधरी	-	सभापति
(ii)	श्री टी.आर. बालू	-	संयोजक
(iii)	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	-	सदस्य
(iv)	श्री अजय मिश्र टेनी	-	सदस्य
(v)	श्री विष्णु दयाल राम	-	सदस्य

(vi) श्री राहुल रमेश शेवाले - सदस्य

(vii) श्री सुधीर गुप्ता - सदस्य

)viii(श्री सीरमेश .एम. - सदस्य

III. <u>उप-समिति-तीन</u>

विषय: वर्ष 2017 की प्रतिवेदन सं. 12, अध्याय सोलह, 16.1– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन

(i) श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

(ii) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया - संयोजक

(iii) श्री जयंत सिन्हा - सदस्य

(iv) श्री राम कृपाल यादव - सदस्य

(v) प्रो. एम.वी.राजीव गौड़ा - सदस्य

(vi) श्री भर्तृहरि महताब - सदस्य

(vii) श्री बालाशौरी वल्लभनेनी - सदस्य

(viii) श्री भूपेन्द्र यादव - सदस्य

परिशिष्ट-चार

(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2019-20) [मुख्य समिति] की बैठकों की तिथियां और अवधि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	विषय जिन पर चर्चा की गई
		से	तक	घंटा	मिनट		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	26.08.2019	1500	1550	00	50	18	वर्ष 2019-20 के दौरान जांच के लिए विषयों के चयन से संबंधित ज्ञापन सं. 1 पर विचार करना
2.	13.09.2019	1430	1630	02	00	19	(एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 8 पर आधारित "सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु तैयारी" विषय के बारे में लेखापरीक्षक द्वारा जानकारी देना; और (दो) उपर्युक्त उद्धृत विषय के बारे में

							में नीति आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देना।
3.	20.09.2019	1430	1700	02	30	16	(एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 की प्रतिवेदन संख्या 22 पर आधारित "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" विषय के बारे में लेखापरीक्षक द्वारा जानकारी देना; और (दो) इस विषय के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देना।
4.	01.10.2019	1100	1530	04	30	11	(एक) लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना और तत्पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 37 पर आधारित "खाद्य "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" विषय के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और और मानक अधिनियम (एफएसएसएआई) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना; और (दो) लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना और तत्पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के

							अध्याय-पांच पर आधारित "न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली (पैरा 5.1)" विषय के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना।
5.	06.11.2019	1530	1740	02	10	13	लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना और तत्पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय-सोलह पर आधारित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" विषय के संबंध में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना।
6.	07.11.2019	1100	1320	02	20	14	लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना और तत्पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 07 पर आधारित "कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा" विषय के संबंध में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का

							मौखिक साक्ष्य लेना।
7.	19.11.2019	1600	1715	01	15	11	(एक) लेखापरीक्षा द्वारा "विनियोग लेखे लेखे में अपवाद रिपोर्टिंग की अधिकतम सीमा में संशोधन" – समिति का अनुमोदन लेने के लिए एक प्रस्ताव; और (दो) निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकर करना: (क) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण" विषय से संबंधित समिति के 95वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; और (ख) "स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों का मूल्यांकन" विषय से संबंधित समिति के 103वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा द्वारा की गई कार्रवाई।
8.	20.11.2019	1600	1645	00	45	10	"विनियोग लेखे में अपवाद रिपोर्टिंग की अधिकतम सीमा में संशोधन" विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य

							लेना।
9.	03.12.2019	1530	1605	00.	35	14	(एक) निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकर करना: (क) विनियोग लेखे में अपवाद रिपोर्टिंग की अधिकतम सीमा में संशोधन; (ख) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण" विषय से संबंधित समिति के 95वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा द्वारा की गई कार्रवाई; और (ग) "स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों का मूल्यांकन" विषय से संबंधित समिति के 103वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा द्वारा की गई कार्रवाई।
10.	27.12.2019	1500	1630	01	30	17	(एक) लोक लेखा समिति (2019-20) द्वारा जांच के लिए अतिरिक्त विषयों का का चयन करना; और (दो) लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना और तत्पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय-छह पर आधारित "कोयला खान भविष्य

							निधि संगठन (सीएमपीएफओ) की निधियों का प्रबंधन" विषय के बारे में कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देना।
11.	28.01.2020	1100	1230	01	30	11	(एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय-बीस पर आधारित "पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण पर योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता" (पैरा 20.1) विषय के बारे में वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना; और (दो) निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकर करना: (क) स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2016-17) से अधिक व्यय; (ख) वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों द्वारा द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन; (ग) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2015-16) से अधिक व्यय" विषय के संबंध में लोक लेखा समिति के 88वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

							टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; (घ) "परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के कार्यकलाप" विषय के संबंध में लोक लेखा समिति के 90वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; और (ड.) "भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन" विषय के संबंध में लोक लेखा समिति के 109वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।
12.	12.03.2020	1530	1730	02	00	15	(एक) वर्ष 2021 में लोक लेखा समिति के शताब्दी के स्मरणोत्सव की तैयारी पर विचार-विमर्श; (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के "समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के के कारण वित्तीय हानि (पैरा 22.1), विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि (22.2) और ठेकेदार को अनुचित लाभ (22.3)" विषय के संबंध शहरी विकास मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधियों का

							मौखिक साक्ष्य लेना; और (तीन) निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और स्वीकर करना: (क) "माल और सेवाओं के प्रापण में अनियमितताएं, गैर-मौजूद फर्मों को कार्य की सुपुर्दगी, अप्राप्य वैट प्रतिदाय और विभागीय प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान" से संबंधित समिति समिति के 132वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; (ख) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी" विषय से संबंधित समिति के 133वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; और (ग) "औषध क्षेत्र में निर्धारितियों का कर निर्धारण" विषय से संबंधित समिति के 136वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

13.	17.03.2020	1030	1100	00	30	17	निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकर करना: (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय-छह पर आधारित "निधियों का प्रबंधन" और (ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय-पांच पर आधारित "न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली-बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बैंगलोर (बीआईएएल)"
14.	23.03.2020	1330	1345	00	15	10	निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकर करना: (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 की प्रतिवेदन संख्या 22 पर आधारित "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" और (ख) "डाक विभाग द्वारा अननुपालन" विषय से संबंधित समिति के 89वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

परिशिष्ट-पांच

(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2019-20) की उप समिति की बैठकों की तिथियां और अवधि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	विषय जिन पर चर्चा की गई
		से	तक	घंटा	मिनट		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				उप-समिति– एक			
1.	23.01.2020	1600	1800	02	00	03	वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 8 से संबंधी "सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की तैयारी" विषय के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना।

उप-समिति– दो							
1.	10.02.2020	1530	1630	01	00	05	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 37 पर आधारित "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" विषय के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना।
उप-समिति– तीन							
1.	27.01.2020	1100	1215	01	15	04	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय-सोलह पर आधारित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)(पैरा 16.1) का कार्यान्वयन" विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना।

परिशिष्ट-छह

(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2019-20) के प्रत्येक सदस्य द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण

24 जुलाई, 2019 से 30 अप्रैल, 2020 तक आयोजित की गई बैठकों की कुल संख्या - 17 (14 बैठकें-मुख्य समिति और 3 बैठकें-उप-समितियां)

क्र. सं.	सदस्य का नाम		बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
	श्री अधीर रंजन चौधरी	सभापति	14
लोक सभा			
2.	श्री टी.आर. बालू	सदस्य और उप-समिति-दो के संयोजक	13 (उप-समिति-दो की 1 बैठक भी शामिल है)
3.	श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया	सदस्य और उप-समिति-तीन के संयोजक	12 (उप-समिति-तीन की 1 बैठक भी शामिल है)

4.	श्री सुधीर गुप्ता	सदस्य	10
5.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	सदस्य	08
6.	श्री भर्तृहरि महताब	सदस्य	09 (उप-समिति-तीन की 1 बैठक भी शामिल है)
7.	श्री अजय मिश्र टेनी	सदस्य	08 (उप-समिति-दो की 1 बैठक भी शामिल है)
8.	श्री जगदम्बिका पाल	सदस्य	12 (उप-समिति-एक की 1 बैठक भी शामिल है)
9.	श्री विष्णु दयाल राम	सदस्य	09 (उप-समिति-दो की 1 बैठक भी शामिल है)
10.	श्री राहुल रमेश शेवाले	सदस्य	11 (उप-समिति-दो की 1 बैठक भी शामिल है)
11.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	सदस्य	10 (उप-समिति-दो की 1 बैठक भी शामिल है)
12.	डॉ. सत्यपाल सिंह	सदस्य	13 (उप-समिति-एक की 1 बैठक भी शामिल है)
13.	श्री जयंत सिन्हा	सदस्य	08
14.	श्री बालाशौरी वल्लभनेनी	सदस्य	07
15.	श्री राम कृपाल यादव	सदस्य	10

राज्य सभा			
16.	श्री राजीव चन्द्रशेखर	सदस्य	07
17.	प्रो.एम.वी.राजीव गौड़ा	सदस्य	10 (उप-समिति-तीन की 1 बैठक भी शामिल है)
18.	श्री नरेश गुजराल	सदस्य और उप-समिति-एक के संयोजक	09 (उप-समिति-एक की 1 बैठक भी शामिल है)
19.	श्री पि. भट्टाचार्य*	सदस्य	01
20.	श्री सी.एम.रमेश	सदस्य	09
21.	श्री सुखेन्दु शेखर राय	सदस्य	07
22.	श्री भूपेन्द्र यादव	सदस्य	11 (उप-समिति-तीन की 1 बैठक भी शामिल है)

* श्री भुवनेश्वर कालिता द्वारा 05 अगस्त, 2019 को राज्य सभा से इस्तीफा दिए जाने के कारण हुई रिक्ति के स्थान पर 10 फरवरी, 2020 से लोक लेखा समिति (2019-20) में निर्वाचित।

परिशिष्ट-सात

(देखिए, पैरा 1.8)

लोक लेखा समिति (2019-20) के अध्ययन दौरों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	दौरे की तिथि और अवधि	उन सदस्यों के नाम जो दौरे में शामिल हुए थे	उन स्थानों तथा संगठनों के नाम जहां पर दौरे किए थे	विषय, जिनका अध्ययन किया गया
1.	18.10.2019 से 22.10.2019 तक (रविवार, 20.10.2019 को छोड़कर चार दिन)	श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री टी.आर. बालू, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्री भर्तृहरि महताब, श्री जगदम्बिका पाल, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्री बालाशौरी वल्लभनेनी, श्री राम कृपाल यादव,	कोलकाता और भुवनेश्वर	1. कोलकाता में (एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण" विषय पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एमडी और सीईओ के साथ अनौपचारिक चर्चा; (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 19 पर आधारित "भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिक को रखने में सांविधिक आवश्यकताओं का निष्पादन " विषय पर रेल मंत्रालय के

		श्री सी.एम. रमेश, श्री सुखेन्दु शेखर राय, (11 सदस्य)		प्रतिनिधियों और पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे, कोलकाता के महाप्रबंधकों के साथ अनौपचारिक चर्चा; (तीन) निम्नलिखित विषयों पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य आयकर आयुक्त के साथ अनौपचारिक चर्चा: (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.4.2 पर आधारित "निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना कटौतियों की स्वीकृति"; (ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.5.3 पर आधारित "अग्रेणीत हानियों की अनियमित अनुमति"; (चार) निम्नलिखित विषयों पर जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के साथ अनौपचारिक चर्चा: (ग) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 15 पर आधारित "राष्ट्रीय

				ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"; (घ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 22 पर आधारित "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम"; (पाँच) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और प्रधान मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एंड सीएक्स, कोलकाता ज़ोन के साथ निम्नलिखित विषयों पर अनौपचारिक चर्चा: (ङ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 4 के पैरा सं. 3.5.4.2 पर आधारित "क्षेत्रीय संरचना में अपील मामलों का लंबन"; (च) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 4 के पैरा सं. 3.5.5 पर आधारित "क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम / नियमावली/पद्धतियों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अपील निरस्त होना"; (छह) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल के मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, कोलकाता

				ज़ोन के साथ निम्नलिखित विषयों पर अनौपचारिक चर्चा: (छ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 3.6.3 पर आधारित "कम/खराब पेट्रोलिंग निष्पादन"; (ज) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 16 के पैरा 5.8.3 पर आधारित "सीमाशुल्क अधिकारियों के पदस्थापन में असंगति" ; **2. भुवनेश्वर में** (एक) निम्नलिखित विषयों पर जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों और ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव के साथ अनौपचारिक चर्चा: (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 15 पर आधारित "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"; (ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 22 पर आधारित "त्वरित

				सिंचाई लाभ कार्यक्रम"; (दो) निम्नलिखित विषयों पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और मुख्य आयुक्त, माल और सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर ज़ोन के साथ अनौपचारिक चर्चा: (ग) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 4 के पैरा 4.5.3 पर आधारित "वसूली कार्यवाही की सूचना न देना/ विलंब से देना"; (घ) नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 4 के पैरा 4.5.5 पर आधारित "बकाया वसूली प्रक्रिया के लिए जारी बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन न होना" (तीन) निम्नलिखित विषयों पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, भुवनेश्वर जोन के साथ अनौपचारिक चर्चा: (ङ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 3.6.3 पर आधारित "कम/खराब पेट्रोलिंग निष्पादन"; (च) नियंत्रक-

				महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 16 के पैरा 5.8.3 पर आधारित "सीमाशुल्क अधिकारियों के पदस्थापन में असंगति"; (चार) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 19 पर आधारित "भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिक को रखने में सांविधिक आवश्यकताओं का निष्पादन " विषय पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों और ईस्ट कोस्ट रेलवे, के महाप्रबंधक के साथ अनौपचारिक चर्चा; (पांच) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण" विषय पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक के एमडी और सीओ के साथ अनौपचारिक चर्चा; (छह) निम्नलिखित विषयों पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और ओडिशा क्षेत्र के मुख्य

				आयकर आयुक्त के साथ अनौपचारिक चर्चा: (छ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा सं. 4.3.1 पर आधारित "अनुदघोषित जमा कर में शामिल नहीं किया गया"; (ज) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 9 के पैरा सं. 4.2.4.1 पर आधारित "ब्याज उद्ग्रहण में चूकें"; (झ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 9 के पैरा सं. 4.3.4 पर आधारित "व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति" |
2.	03.01.2020 से 09.01.2020 तक (रविवार, 05.01.2020 को छोड़कर	श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री टी.आर. बालू, श्री राहुल रमेश शेवाले श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री अजय मिश्र टेनी, डॉ. सत्यपाल सिंह,	कोयंबटूर, कोच्चि और लक्षद्वीप	1. **कोयंबटूर में** (एक) नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 9 के पैरा 5.9.5 पर आधारित कर -अनुपालन मुद्दे" विषय पर "निर्धारण में चूक वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और तमिलनाडु क्षेत्र के मुख्य आयकर आयुक्त के साथ

	छह दिन)	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम कृपाल यादव, प्रो.एम.वी.राजीव गौड़ा श्री भूपेन्द्र यादव (11 सदस्य)		अनौपचारिक चर्चा की गई। (दो) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 19 पर आधारित "भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिक को रखने में सांविधिक आवश्यकताओं का निष्पादन " विषय पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों और दक्षिण रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई। 2. **कोच्चि में** (एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 1 के अध्याय-तीन पर आधारित "सीमाशुल्क विभाग के निवारक कार्य" विषय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों और मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, हाउस कोचीन के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई। 3. **लक्षद्वीप में** (एक) नियंत्रक-

				महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 8 के पैरा 2.13 पर आधारित "लक्षद्वीप द्वीप समूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण" विषय पर गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों और प्रशासक, लक्षद्वीप के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई; (दो) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन सं. 9 के पैरा 3.1 पर आधारित "भारतीय तटरक्षक में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन" विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों और महानिदेशक, तट रक्षक के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई। **4. कोच्चि में** (एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 49 पर आधारित "प्रमुख पत्तनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी की निष्पादन लेखापरीक्षा" विषय पर पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई; (दो)

				केरल में कयर उद्योग से संबंधित नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 12 के पैरा 16.1 पर आधारित "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन" विषय के संबंध में शुरुआती सूचना प्राप्त करने के लिए नेशनल कयर ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर और सेंट्रल कयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एल्लेप्पी का दौरा किया; (तीन) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 12 के पैरा 16.1 पर आधारित "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन" विषय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कयर बोर्ड के चेयरमैन के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई; (चार) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 20 के पैरा 3.5 पर आधारित "अनिवार्य प्रणाली की स्थापना न करने के कारण विमान की उड़ान सुरक्षा से समझौता" विषय पर

				रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई; (पांच) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 10 पर आधारित "बाढ़ नियंत्रण पूर्वानुमान योजना के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा" विषय पर जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों और केरल के मुख्य सचिव के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई।
3.	13.02.2020 से 14.02.2020 तक (दो दिन)	श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री राहुल रमेश शेवाले श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम कृपाल यादव, श्री बालाशौरी वल्लभनेनी प्रो.एम.वी.राजीव गौड़ा	सूरत	सूरत में (एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 पर आधारित "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अध्यक्ष, ऑयल एंड नैचुरल गैस (ओएनजीसी), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सीएमडी के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई; (दो)

		(9 सदस्य)		नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण" विषय पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ के साथ अनौपचारिक चर्चा; (तीन) निम्नलिखित विषयों पर वित्त मंत्रालय (राजस्व) के प्रतिनिधियों और गुजरात ज़ोन के मुख्य आयकर आयुक्त, सीमा शुल्क के साथ अनौपचारिक चर्चा: (क) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 4 के अध्याय- तीन पर आधारित "सीबीआईसी में अपील के मामलों के लिए निगरानी तंत्र" । (ख) नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 4 के पर आधारित "सीबीआईसी में बकाया की वसूली के लिए निगरानी तंत्र"; (चार) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष

13. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

14. सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

तीन. किए गए कार्य की समीक्षा

(क) समिति की बैठकें

2.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 11 बैठकें हुई जो लगभग 23 घंटे 05 मिनट तक चलीं। इन बैठकों की अवधि, उपस्थित सदस्यों की संख्या और इन बैठकों में चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा **परिशिष्ट–दो** में दिया गया है।

2.5 समिति की इन बैठकों में प्रत्येक सदस्य ने जितनी बैठकों में भाग लिया, उसका विवरण **परिशिष्ट–तीन** में दिया गया है।

(ख) समिति को मुहैया करायी गयी सामग्री

2.6 जांचाधीन विषयों पर समिति को मंत्रालयों/ विभागों द्वारा मुहैया करायी गयी सामग्री का ब्यौरा निम्नवत् है:-

क्रम सं.	विषय	मंत्रालय	टाइप किए गए मुद्रित/ की पृष्ठों संख्या
1	स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	79
2	देश के विभिन्न भागों में एयरपोर्टों का विकास	नागर विमानन मंत्रालय	31
3	रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण विकास/	रेल मंत्रालय	04
4	अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गयी योजनाओं की समीक्षा	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	13
5	खनन कार्यकलाप और पर्यावरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	20
6	शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	378

7	पारिस्थितिकी तंत्र पर मेगा परियोजनाओं का प्रभाव	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	18
8	भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आकलन और कार्यकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3560
9	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	गृह मंत्रालय	06
10	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16
11	एफएसएसएआई का अधिदेश और कार्यकरण की समीक्षा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	38
12	खेलो इंडिया योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	217
13	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	ग्रामीण विकास मंत्रालय	122
14	सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	30

(ग) तत्स्थानिक अध्ययन दौरा

2.7 वर्ष 2019-20 के दौरान समिति द्वारा कोई तत्स्थानिक दौरा नहीं किया गया।

(घ) कार्यवाहियां

2.8 प्राक्कलन समिति की बैठकों जिनमें साक्षियों का साक्ष्य लिया गया, की कार्यवाहियों का शब्दश: रिकार्ड और कार्यवृत्त सचिवालय के पास रखा जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान एक बैठक, जिसका आयोजन समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए विषयों के चयन हेतु किया गया था, के अलावा प्राक्कलन समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के लिए नौ बैठकें आयोजित कीं तथा समिति के प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने व स्वीकार करने के लिए एक बैठक आयोजित की।

चार. प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

2.9 समिति के 2019-20 के कार्यकाल के दौरान कोई मूल प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

(च) की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन

2.10 समिति के 2019-20 के कार्यकाल के दौरान सभा में कोई की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, दिनांक 18.03.2020 को दो की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन स्वीकार किए गए।

पांच. सचिवालय

2.11 प्राक्कलन समिति शाखा समिति का सचिवालय है। एक अपर निदेशक और दो अवर सचिवों ने शाखा के कार्यनिष्पादन का पर्यवेक्षण किया। संयुक्त सचिव समिति सचिवालय के संपूर्ण प्रभारी रहे।

2.12 वर्ष 2019-20 के दौरान, मंत्रालयों/ विभागों/ विभिन्न संगठनों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया गया, बिंदु चुने गए और समिति के उपयोग के लिए प्रश्न तैयार किए गए।

2.13 सचिवालय द्वारा चयनित विषयों की जांच, समिति की बैठकों, प्रश्न-सूची का प्रारूप तैयार करने और प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार करने, उन पर विचारण और स्वीकार करने का कार्य किया गया। सचिवालय ने प्राक्कलन समिति के विचारण हेतु ज्ञापन तैयार करने और पूर्व में समिति द्वारा किए गए अध्ययन दौरों के संबंध में मेजबान संगठनों से प्राप्त दौरे के बिलों के निपटान से संबंधित कार्य भी किया।

2.14 सचिवालय ने जांचाधीन विषयों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों, संसदीय वाद-विवाद, संसदीय प्रश्नों के उत्तरों, बजट प्राक्कलनों, दस्तावेजों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का अध्ययन भी किया।

परिशिष्ट - एक

(पैरा 2.2 देखें)

प्राक्कलन समिति (2019-20) की संरचना

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री प्रदान बरुवा
6. श्री नंदकुमार सिंह चौहान
7. श्री पी.पी. चौधरी
8. श्री पी.सी. गद्दीगौदर
9. श्री दिलीप घोष
10. डॉ0 संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री दयानिधि मारन
14. श्री के. मुरलीधरन
15. श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम
16. श्री कमलेश पासवान
17. डॉ. के. सी. पटेल
18. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
19. श्री विनायक भाऊराव राऊत
20. श्री अशोक कुमार रावत
21. श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
22. श्री राजीव प्रताप रूडी
23. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा

26. श्री धर्मवीर सिंह

27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

28. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

29. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे

30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

परिशिष्ट - दो

(पैरा 2.4 देखें)

प्राक्कलन समिति (2019-20) की बैठकों का ब्यौरे और अवधि को दर्शाने वाला विवरण

सदस्यों की उपस्थिति और चर्चा किए गए विषय

क्र .सं.	बैठक की तारीख	से :घंटे) (मिनट	तक :घंटे) (मिनट	अवधि (मिनट :घंटे)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	चर्चा किए गए विषय
1	02.08.2019	1500	1545	मिनट 45	23	वर्ष हेतु जांच द्वारा समिति प्राक्कलन दौरान के 20-2019 विचार पर । संख्या ज्ञापन में संबंध के चयन के विषयों
2	21.08.2019	1130	1415	45 घंटे 2 मिनट	25	'भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आकलन और कार्यकरण' विषय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य
3	04.09.2019	1130	1600	30 घंटे 4 मिनट	20	खेलो इंडिया योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा विषय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य
4	18.09.2019	1130	1330	घंटे 2	16	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा
5	18.09.2019	1400	1500	घंटा 1	12	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा
6	07.11.2019	1130	1405	35 घंटे 2 मिनट	22	'भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आकलन और कार्यकरण' विषय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों का और साक्ष्य
7	23.12.2019	1130	1350	20 घंटे 2 मिनट	18	'देश के विभिन्न भागों में एयरपोर्टों का विकास' विषय पर नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य
8	07.01.2020	1130	1345	15 घंटे 2 मिनट	20	स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
9	05.02.2020	1500	1730	30 घंटे 2 मिनट	22	भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आकलन और कार्यकरण
10	26.02.2020	1130	1340	10 घंटे 2 मिनट	11	खेलो इंडिया योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा विषय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य
11	18.03.2020	1500	1515	मिनट 15	22	प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचारण और उन्हें स्वीकार करना।

परिशिष्ट - तीन

(पैरा 2.5 देखें)

प्राक्कलन समिति (2019-20) की बैठकों में प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति की संख्या दर्शाने वाला विवरण

अवधि के दौरान कुल बैठकों की संख्या - 11

क्र.सं.	सदस्य का नाम	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	**श्री गिरीश भालचन्द्र बापट**	**11**
2	कुंवर दानिश अली	11
3	श्री कल्याण बनर्जी	7
4	श्री प्रदान बरुवा	7
5	श्री सुदर्शन भगत	6
6	श्री पी चौधरी .पी.	9
7	श्री नंदकुमार सिंह चौहान	6
8	श्री पीगद्दीगौदर .सी.	9
9	श्री दिलीप घोष	3
10	डॉ0 संजय जायसवाल	8
11	श्री धर्मेन्द्र कश्यप	8
12	श्री केसिनेनी श्रीनिवास	5
13	श्री मोहनभाई कुंडारिया	8
14	श्री दयानिधि मारन	9
15	श्री के. मुरलीधरन	7
16	श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम	4
17	श्री कमलेश पासवान	5
18	डॉ. के. सी .पटेल	6
19	कर्नल राज्यवर्धन राठौर	6
20	श्री विनायक भाऊराव राऊत	7
21	श्री अशोक कुमार रावत	6
22	श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी	5
23	श्री राजीव प्रताप रूडी	7
24	श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा	10
25	श्री जुगल किशोर शर्मा	6
26	श्री प्रताप सिम्हा	7

27	श्री धर्मवीर सिंह	9
28	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	4
29	श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	8
30	श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे	7

अध्याय-तीन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

एक. निर्वाचन और संरचना

24 जुलाई, 2019 को आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष 2019-20 के कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन किया गया, देखिए दिनांक 25 जुलाई, 2019 का लोक सभा समाचार भाग-दो, सं. 403 ।

3.2 अध्यक्ष ने समिति की सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी को समिति के सभापति के रुप में नियुक्त किया।

3.3 समिति की संरचना परिशिष्ट-एक पर दी गई है।

दो. जांच हेतु चुने गए विषय

3.4 समिति ने 5 अगस्त, 2019 को हुई बैठक में वर्ष 2019-20 के दौरान विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित उपक्रमों/विषयों को चुना:-

(क) व्यापक जांच हेतु विषय

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
3. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड
8. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
9. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(ख) समस्तरीय अध्ययन हेतु विषय

10. तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सीपीएसयू के कार्य निष्पादन की समीक्षा

11. विद्युत क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

12. विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा सीएसआर के अंतर्गत कार्य निष्पादन

13. कोयला क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा सीएसआर के अंतर्गत कार्य निष्पादन

14. सीपीएसयू में कारपोरेट गवर्नेंस

15. इस्पात क्षेत्र के सीपीएसयू के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

ग. सीएंडएजी के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट लेखा परीक्षा पैराओं पर आधारित विषय

16. एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन से संबंधित वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 5

17. तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड में मैरीन लॉजीस्टिक्स आपरेशंस से संबंधित वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-7

तीन. किए गए कार्य की समीक्षा

(क)समिति की बैठकें

3.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 16 बैठकें हुईं जो 21 घंटे 05 मिनट तक चली ।

3.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित समिति की बैठकों की तिथि और अवधि, इनमें उपस्थिति सदस्यों की संख्याऔर जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी परिशिष्ट-दो पर दी गई है। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा कितनी बैठकों में भाग लिया गया, इसका ब्यौरा दर्शाने वाली अन्य विवरणी परिशिष्ट-तीन पर दी गई है।

(ख) मंत्रालयों/उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री

परिशिष्ट दो

(देखिए पैरा सं – 3.6)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों की तिथि तथा अवधि के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

सदस्यों की उपस्थिति तथा विषय जिन पर चर्चा की गई

(2019 - 20)

कुल बैठकें : 16

बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की प्रतिशतता	सत्र / अंतरसत्रावधि	विषय
		से	तक	घंटा	मिनट					
1	2	3		4		5	6	7	8	9
पहली	05.08.2019	1520	1555	0	35	13	09	59	सत्रावधि	वर्ष 20-2019 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन से संबंधित ज्ञापन संपर 1 0 विचार करना।
दूसरी	22.8.2019	1450	1620	1	30	13	09	59	अंतर सत्रावधि	सीपीएसयू में कारपोरेट गवर्नेंस - सीपीएसयू में कारपोरेट गवर्नेंसविषय पर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय लोक) (उद्यम विभाग प्रतिनिधियों के से संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
तीसरी	05.09.2017	1445	1635	1	50	14	08	63	अंतर सत्रावधि	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की व्यापक जांच के संबंध में इसके प्रतिनिधियों से

										संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
चौथी	19.09.2019	1450	1630	01	40	17	5	77	अंतर सत्रावधि	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की व्यापक जांच के संबंध में इसके प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
पांचवी	14.10.2019	1435	1600	01	25	11	11	50	अंतर सत्रावधि	भारतीय खाद्य निगम की व्यापक जांच के संबंध में इसके प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
छठी	13.11.2019	1450	1630	1	40	10	12	45	अंतर सत्रावधि	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की व्यापक जांच के संबंध में इसके प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
सातवीं	02.12.2019	1530	1800	2	30	12	10	54	सत्रावधि	सीपीएसयू में कारपोरेट गवर्नेस विषय के संबंध में रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
आठवीं	08.01.2020	1445	1545	1	00	14	8	63	अंतर सत्रावधि	सीपीएसयू में कारपोरेट

परिशिष्ट तीन

(देखिए पैरा सं – 3.6)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की अवधि आरंभ होने से लेकर 30 अप्रैल, 2019 तक हुई बैठकों की कुल संख्या और समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा जितनी बैठकों में भाग लिया गया, उसकी संख्या दर्शाने वाला विवरण

आयोजित की गई बैठकों की कुल संख्या – 16

	सदस्य, लोक सभा	बैठकों की संख्या
1.	**श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सभापति**	16
2.	डा. हिना विजय कुमार गावित	8
3	श्री सी पी जोशी	9
4	श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि	3
5	श्री रघु राम कृष्ण राजू	10
6	श्रीमती पूनमबेन माडम	9
7	श्री अर्जुन लाल मीणा	8
8	श्री जनार्दन मिश्र	16
9	कुंवर दानिश अली	16
10	प्रो0 सौगत राय	11
11	डॉ 0 कुमार अरविन्द शर्मा	7
12	श्री रवनीत सिंह	10
13	श्री सुशील कुमार सिंह	10
14	श्री उदय प्रताप सिंह	8
15	श्री रामदास तडस	7
	सदस्य, राज्य सभा	
16	श्री प्रसन्न आचार्य	9
17	डॉ 0 अनिल जैन	3
18	मोहम्मद अली खान	11
19	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2
20	श्री ओम प्रकाश माथुर	7
21	श्री महेश पोद्दार	10
22	श्री ए. के. सेल्वाराज	2